केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

संख्या सीबीएसई/सीई/प्रायोगिक 2024/ **12 जनवरी, 2024**

सेवा में,
सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूलो के
प्रधानाचार्य/संस्थानों के प्रमुख

विषय: बोर्ड के पोर्टल पर प्रायोगिक/परियोजना(प्रोजेक्ट)/आंतरिक आकलन परीक्षा 2024 के सही अंक अपलोड करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते है कि प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करना एवं बोर्ड के पोर्टल पर सही अंक देना/अपलोड करने का कार्य स्कूलों के प्रमुख दायित्वों में से एक है जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के परिणाम सही तरीके से घोषित हो और उसके उपरांत छात्रों को कोई परेशानी न हो।

यह देखा गया है कि कई बार स्कूल इस दायित्व की ओर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं और इससे त्रुटियां हो रही हैं। पोर्टल पर प्रायोगिक/परियोजना(प्रोजेक्ट)/आंतरिक आकलन के अंक अपलोड करते समय त्रुटियों से बचने के लिए, बोर्ड द्वारा समय समय पर पुनः स्मरण कराया जा रहा है। इस संबंध में, जो जानकारी स्कूलों को उपलब्ध कराई गई है वह नीचे सूचीबद्ध है:

1. पाठ्यचर्या दस्तावेज जिसमें थ्योरी और प्रायोगिक/आंतरिक/प्रोजेक्ट अंकों के लिए आबंटित अंकों का उल्लेख किया जाता है।
2. पत्र संख्या सीबीएसई/समन्वय/अंक वितरण/ई-58224/2023 दिनांक 30.10.2023 के तहत से, जिसमें स्कूलों को 2024 की परीक्षा के लिए प्रस्तावित विषयों के बारे में सूचित किया गया है, साथ ही प्रत्येक विषय के थ्योरी और प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन के कुल निर्दिष्ट अंकों के बारे में भी बताया गया है।
3. सत्र 2023-24 के लिए शीतबद्ध स्कूलों के लिए कक्षा X और XII के लिए प्रायोगिक/आंतरिक आकलन/प्रोजेक्ट के आयोजन के मुद्दे पर दिनांक 10.10.2023 के पत्र संख्या समन्वय/शीतबद्ध/प्रायोगिक /2023-24 जारी किया गया था जिसमें एसओपी के क्रम संख्या 5 में उल्लेख किया गया है कि **"अंक अपलोड करते समय, स्कूल प्रधानाचार्य, आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक (जैसा भी मामला हो) यह सुनिश्चित करेंगे कि सही अंक अपलोड किए गए हैं क्योंकि एक बार अंक अपलोड होने के बाद के**

बाद अंकों में किसी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल और परीक्षक, अंक देते/अपलोड करते समय, विषय के प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन के लिए सीबीएसई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आबंटित अधिकतम अंकों को भी ध्यान में रखेंगे।

4. सीबीएसई द्वारा बिंदु सं 8 पर जारी दिनांक 22.12.2023 के पत्र संख्या सीबीएसई/समन्वय/प्रायोगिक-रिमाइंडर(अनुस्मारक)/2023 में, उपर्युक्त संदेश स्कूलों को सही अंक देने/अपलोड करने के बारे में याद दिलाने के लिए दोहराया गया है।
5. बिंदु संख्या 6 पर 'स्कूलों द्वारा कार्रवाई' शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 26.12.2023 के परिपत्र संख्या सीबीएसई/समन्वय/प्रायोगिक-2024/2023 के तहत, इसे फिर से स्कूलों को दोहराया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सही अंकों को देने/अपलोड करने के लिए समस्त स्कूलों को दिशानिदेश जारी किए गए हैं।

एक बार फिर यह दोहराया जाता है कि प्रायोगिक//आंतरिक/प्रोजेक्ट के अंकों को देते/अपलोड करते समय, यह सुनिश्चित करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि दिए गए/अपलोड किए गए अंक सही हैं और सर्वर पर एक बार अपलोड किए जाने के बाद अंक अंतिम होंगे और उसके बाद कोई सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रायोगिक परीक्षाएं संचालित करने के लिए प्रधानाचार्यों द्वारा निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए।

1. एक बार जब आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा शुरू करने के लिए मिलते हैं, तो उन्हें काम शुरू होने से पहले बोर्ड के परिपत्रों और अनुदेशों को पढ़ना होगा और उसका पूरी तरह से पालन करना होगा।
2. उन्हें पाठ्यचर्या दस्तावेज़ से अंकों के विवरण के साथ-साथ अंकों के विभाजन को भी सत्यापित करना होगा।
3. उपर्युक्त के बाद, प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए और प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन में विभिन्न गतिविधियों के लिए आबंटित अंकों के आधार पर अंक दिए जाने चाहिए।
4. बोर्ड पोर्टल पर अंक अपलोड करने से पहले, प्रधानाचार्य को आंतरिक और बाहरी दोनों परीक्षकों से सत्यापित करना चाहिए कि विषय के लिए आवंटित अधिकतम अंकों में से सही अंक दिए गए हैं।

5. इसके बाद, सही अंक सर्वर पर अपलोड किए जाने चाहिए, और पोर्टल पर अंकों को अंतिम रूप से जमा करने से पहले एक प्रिंटआउट लिया जाना चाहिए और एक बार फिर मिलान किया जाना चाहिए। रिकार्ड के लिए अंक सूची पर आंतरिक परीक्षक, बाह्य परीक्षक और प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।
6. गलतियों से बचने के लिए स्कूल उचित समझे जाने वाले अन्य उपाय भी कर सकते हैं।
7. **प्रधानाचार्यो के ध्यान में यह भी लाया गया है कि हाल ही के एक मामले में, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वर पर गलत तरीके से अपलोड किए गए अंकों को सही करने के लिए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है।**
8. परिणामों को घोषित किए जाने के लिए एक बार अपलोड कर दिए गए अंक अंतिम होंगे और उसके पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं होगी।

यह अपेक्षा की जाती है कि प्रधानाचार्य, आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक सही ढंग से अंक देने और उन्हें सही ढंग से अपलोड करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि अंक अपलोड होने के बाद किसी भी सुधार के अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता/-
(डा. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक